Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के मोबाईल यूनिट कार्यक्रम का प्रोजेक्ट समन्वयक 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मनीष पंचाल प्रोजेक्ट समन्वयक, मोबाईल यूनिट कार्यक्रम, उदयपुर जोन, श्री पी.सी.बी. ट्रस्ट, जोधपुर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के मोबाईल यूनिट कार्यक्रम जो श्री पी.सी.बी. ट्रस्ट जोधपुर द्वारा संचालित है, के उदयपुर जोन के प्रोजेक्ट समन्वयक मनीष पंचाल द्वारा नौकरी में बनाये रखने बकाया वेतन देने एवं अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि की गणना करने की एवज में 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है तथा आरोपी द्वारा इस पेटे पहले ही दो–तीन बार में परिवादी से 20 हजार रुपये वसूल कर लिये हैं।

जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मनीष पंचाल पुत्र श्री गणेशलाल निवासी चिलखी, पुलिस थाना कुआं, जिला डूंगरपुर हाल प्रोजेक्ट समन्वयक, मोबाईल यूनिट कार्यक्रम, उदयपुर जोन, श्री पी.सी.बी. ट्रस्ट, जोधपुर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में 4 हजार रुपये प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।